(२०)

COURT FEE 5 Rs भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

COURT FEE 5 Rs भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

COURT FEE 5 Rs भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

न्यायालय राजस्व मण्डल केन्द्र ग्वालियर केम्प उज्जैन

प्रकरण क्रमांक १६६ R।२१७-I।९९

गोपालसिंह आत्मज भंवरसिंह जाति राजपूत
निवासी ग्राम घतुरिया परगना शाजापुर
----आवेदक

विरुद्ध

सिद्धुसिंह आत्मज बापूसिंह जाति राजपूत
निवासी ग्राम घतुरिया परगना शाजापुर
----अनावेदक

श्री दीपक नारायण अभि. द्वारा आज दिनांक 16-7-99 को कैम्प उज्जैन पर प्रस्तुत।

पुनरीक्षण आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा ५० मु०राजस्व संहिता

माननीय महोदय,

आवेदक अधीनस्थ योग्य न्यायालय अपर आयुक्त उज्जैन, संभाग उज्जैन के प्रकरण क्रमांक १८।८८-८६ अपील मे पारित आदेश दि० २४-५-६६ से असन्तुष्ट एवम दु:खित होकर निम्नकारणो के आधार पर निगरानी अन्दर अवधि प्रस्तुत करता है :-

16.7.99

१:- यह कि अधीनस्थ योग्य न्यायालय का निर्णय जेर निगरानी विधि एवम विधान के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

२:- यह कि अधीनस्थ योग्य न्यायालयो ने धारा २५० मु०राजस्व-संहिता की परिधि के बाहर विचार कर जो आदेश पारित किया था उसे उचित ठहराने मे अधीनस्थ योग्य न्यायालय ने वैधानिक त्रुटि की है।

३:- यह कि धारा २५० मध्यप्रदेश मु०राजस्व संहिता के वाद विपरीत आधिपत्य के दो वर्षो के अन्दर प्रस्तुत किया जाना चाहिये, अवधि - इस धारा के लिये महत्वपूर्ण विचारणीय बिन्दु है किन्तु - अधीनस्थ योग्य न्यायालयो द्वारा इस महत्वपूर्ण अवधि के महत्वपूर्ण तथ्य को नजरअन्दाज कर जो आदेश पारित किया है उसे - उचित ठहराने मे अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि की है।

४:- यह कि निर्विवादित रूप से अपीलान्ट आवेदक का आधिपत्य

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ   जिला – शाजापुर

प्रकरण कमांक   निग0 1219–एक / 1999

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20–8–2015	आवेदक एवं अनावेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। कई बार सूचना जारी की गई। पिछली पेशी पर रजिस्टर्ड सूचना के माध्यम से सूचना जारी की गई, परन्तु कोई उपस्थित नहीं। यह प्रकरण वर्ष 1999 से लंबित है। ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक को प्रकरण के संचालन में रूचि नहीं है। अतः प्रकरण रूचि न लेने से समाप्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापस भेजा जाये। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। सदस्य	